



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय :

५२४३, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्यानपुर, कानपुर - २०८ ०१७

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208 017

संदर्भ 3505/100-124/10

दिनांक 23/12/10

सेवा में,

मैसर्स महावीर सहकारी आवास समिति लि० आदि,
बैरी अकबरपुर, कछार
कानपुर नगर।

विषय: पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से बैरी अकबरपुर, कछार, कानपुर नगर पर प्रस्तावित आवासीय भवन के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र जो इस कार्यालय में दिनांक 13.12.10 का सन्दर्भ ग्रहण करें। आपके आवेदन पत्र पर इस कार्यालय द्वारा विचार किया गया। आवेदन पत्र के परीक्षण तथा स्थल निरीक्षण के उपरान्त प्रस्तावित स्थल पर आवासीय भवन के निर्माण हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है:-

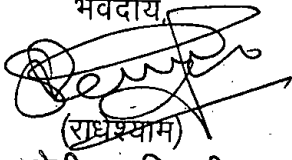
- अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए निर्गत किया जा रहा है:-
(क) संस्था का नाम एवं पता **मै० महावीर सहकारी आवास समिति लि० आदि**
बैरी अकबरपुर, कछार
कानपुर नगर।
- (ख) कुल घरेलू उत्प्रेषण की मात्रा **54 किली०/दिन**
- (ग) प्रस्तावित डी०जी०सेट की क्षमता **625 के०वी०ए०**
- (घ) प्रयुक्त ईंधन एवं उसकी मात्रा **एच०एस०डीजल (डी०जी०सेट हेतु)**
आवश्यकतानुसार।

उपर्युक्त विषयवस्तु में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1533 दिनांक 14/09/06 (यथा संशोधित) एवं उ०प्र० सरकार के शासनादेश संख्या ६७२/५५-पर्या-2008-118(पर्या) 2008 दिनांक 21 अप्रैल 2008 के प्राविधानों, कानपुर महायोजना-2021 तथा कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्थल विकास/भवन निर्माण हेतु निर्मित दिशा-निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जाये।
- बिल्ड अप एरिया का क्षेत्रफल कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित गाइड लाइन के अनुरूप होना चाहिए।
- प्रस्तावित परियोजना में घरेलू उपयोग हेतु प्रस्तावानुसार 68 किली/दिन से अधिक जल का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
- घरेलू बहिष्प्राव जिसकी मात्रा 54 किली०/दिन से अधिक न होगी, को निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत करके यथासम्भव शुद्धिकृत जल का प्रयोग गार्डनिंग इत्यादि में किया जाये।
- उपरोक्त वर्णित मात्रा के अतिरिक्त प्रतिष्ठान में अन्य किसी प्रकार के ईंधन/खतरनाक रसायन का प्रयोग एवं भण्डारण नहीं किया जायेगा।
- प्रस्तावित परियोजना में प्रस्तावित 625 के०वी०ए० क्षमता के डी० जी० सेट्स से सम्बद्ध चिमनी की ऊँचाई नियमानुसार भवन छत से 0.2√KVA मी० ऊपर रखी जाये तथा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समुचित क्षमता के कैनोपी/एकास्टिक इन्क्लोजर्स की स्थापना किया जाये।
- प्रस्तावित परियोजना के चारों तरफ पर्यावरण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित क्षेत्रफल में हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा।
- प्रस्तावित परियोजना की स्थापना एवं संचालन इस प्रकार किया जाये जिससे कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े तथा कोई भी किया-कलाप जनहित के प्रतिकूल नहीं किया जाये।
- भूगर्भ जल स्तर को गिरने से बचाने के लिए भूगर्भ जल निदेशालय उ०प्र० द्वारा भवन छत के क्षेत्रफल के अनुसार जारी गाइड लाइन के अनुरूप प्रस्तुत प्रस्तावानुसार रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना किया जाये।

11. अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों की अनुपालन आख्या प्रत्येक माह बोर्ड को प्रेषित की जायेगी तथा परियोजना के संचालन से दो माह पूर्व सहमति जल/वायु प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाये।
12. प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्र के बाह्य हिस्से में तथा संवेदनशील स्थानों पर सौर ऊर्जा चालित प्रकाश की व्यवस्था किया जाये, जिससे कि आपातकाल स्थिति में प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
13. प्रस्तावित परियोजना स्थल के आस-पास एकास्टिक व्यवस्था इस प्रकार से किया जाये जिससे कि परिसर के अन्दर एवं बाहर ध्वनि का स्तर मानकों के अनुरूप रहे।
14. प्रस्तावित परियोजना हेतु अग्निशमन तथा नागरिक सुरक्षा के समस्त मापदण्डों का अनुपालन किया जाये।
15. प्रस्तावित परियोजना से जनित होने वाले ठोस अपशिष्ट के अस्थाई भण्डारण की व्यवस्था स्थापित कर इसका निस्तारण नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली के अनुरूप किया जाये एवं प्रस्तावानुसार बायोडिग्रेडिबिल घरेलू अपशिष्ट का उपयोग बायोकम्पोस्ट खाद के निर्माण में किया जाये।
16. प्रस्तावित परियोजना के अन्दर समुचित लाइटिंग एवं पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे कि सामान्य यातायात प्रभावित न हो।
17. प्रस्तावित परियोजना/किया कलापो का विस्तार या आधुनिकीकरण प्रक्रिया में परिवर्तन करने से पूर्व बोर्ड से पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
18. उपरोक्त शर्तें, अन्य विभागीय स्वीकृतियों एवं शर्तों को प्रभावित नहीं करेंगी।

यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 31.12.2013 तक विधिमान्य होगा। शर्तों के संशोधन का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त (रिवोक) किया जा सकता है।

भवदीय

 (राधेश्याम)
 क्षेत्रीय अधिकारी

पृ०सं०

तद दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. कार्यालय भवन विभाग, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

क्षेत्रीय अधिकारी



KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, KANPUR

(PERMIT FORM)

**PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR UNDER
THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973**

ID No. :-	03052014001	Block/Sector	-----/N/A
Plot/House	A.NO. 576,577,585, 1082 TO 1094,1113 ETC/-----	Scheme	-----
Permit Date	07-07-2015	Application Date	03-05-2014
Permit No.	91/BHAWAN/14-15		
Area(Place)	BAIRY AKBARPUR KACHHAR		
Land Usage	Group Housing		
Applicant's Name	SHRI MAHAVEER SAHKARI AWAS SAMITI LTD. ETC		
Present Address	113/70 SWAROOP NAGAR,KANPUR		

Sanction vide order dated : 01-06-2015 V.C build granted as per sanctioned building plan enclosed subject to the conditions as per annexure enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Valid for five years from the date of Sanction for fresh Map/One year in Case of Renewal.

Authorised Signatory

विकास अधिकारी

सहायक-वास्तुविद नियोजक

Copy To:- Officer Incharge (Enforcement) alongwith Sanctioned Copy of Map.

Authorised Signatory

अनुज्ञा की शर्त:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भू/गेह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विवधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भाँति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रात्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यो को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियो के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकेड बालकनी, छज्जा, कारनिस और किसी प्रकार के प्रेक्षक के रूप में ही चाहे भले हो, ऐसे प्रेक्षक भूल से इस नक्शे में दर्शा दिये गये की अनुज्ञा अमान्य होगी। ऐसे निर्माण कार्यों के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन पृथक स्वीकृत अनिवार्य है।
4. अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहाँ पर विधुत तार हो, जब तक इस प्रकार लगे तार उत्तर प्रदेश विधुत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये जाये।
6. पक्ष को उपविधि 2008 के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण हार्वेस्टिंग, सोलर संयन्त्र की व्यवस्था निर्धारित मानको के अनुसार करनी होगी।
7. निर्माण भूकम्परोधी करना होगा।
8. वृक्षा रोपड का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
9. उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15-ए के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
10. Utter Pradesh Apartment (Promotion of Construction Ownership and Maintenance) Act 2010 के प्राविधान अनुसार भाग-4 (5) के अनुसार कार्यवाही न किये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
11. भू-स्वामित्व विषयक किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
12. भूकम्परोधी प्रमाण पत्र एवं स्ट्रक्चरल ड्राइंग डिजाइन प्रस्तुत करनी होगी। स्थल पर निर्माण कार्य दक्ष स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देख रेख में पूर्ण किया जायेगा। भवन उपविधि के अध्याय 13 के अनुसार वांछित अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे।
13. इन्स्टिट्यूट के रूप में अनुमन्य अतिरिक्त एफ0ए0आर का उपयोग ई0डब्लू0एस व एल0आई0जी भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने की शर्त के अधीन ही मान्य होगा।
14. किसी भी भिन्नता की दशा में नियमानुसार शमन उपरान्त ही कय योग्य तलक्षेत्रफल प्रभावी होगा।
15. कय किये जाने हेतु आवेदित तलक्षेत्रफल के सम्बन्ध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी की अनापत्ति सहित वांछित अनापत्तिया प्राप्त करनी होगी। अनापत्तियों में वर्णित प्रतिबन्धों एवं शर्तों का पालन करना होगा। प्रस्तुत मानचित्र पर अंकित किये गये संशोधनों का समावेश करने के साथ-साथ प्रस्तुत प्रस्ताव में परिवर्तन की आवश्यकता निर्धारित होने की दशा में आवश्यक परिवर्तन कर नियमानुसार संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करना होगा।
16. मानचित्र की स्वीकृति ग्रुप हाउसिंग (आवासीय) हेतु प्रदान की जा रही है। अन्य उपयोग की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
17. प्रस्ताव में भविष्य में कोई देयता बनती है तो उसे पक्ष को अदा करनी होगी।
18. किसी भी शर्त का पालन न किये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
19. भू-स्वामित्व का वाद विवाद होने की दशा में सम्स्त उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

वी0 प्रो0
Digitised Signature

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
PERMIT FORM

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR
UNDER THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973

I.D. NO: 200300213

Block/Sector :

Plot/House: Arazi No. 576,577,585,1082 to 1094,1113 etc.

SCHEME : NON SCHEME

Permit Date:- 08/08/2013

Application Date: 20/03/2013

Permit No:- 1011/BHAWAN / 2012-13

Area (Place):- BAIRI AKBARPUR KACCHAR & BANGAR

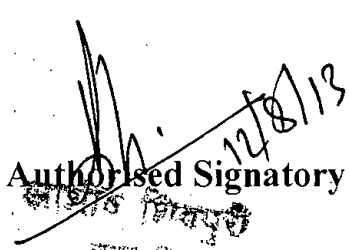
Land Usage:- RESIDENTIAL (GROUP HOUSING)

Applicant's Name- SRI MAHAVEER SAHKARI AWAS SAMITI LTD. ETC.

Present Address 113/70 SWAROOP NAGAR, KANPUR

Sanction vide order dated 24/06/2013 V.C. build granted as per sanctioned building Plan enclosed subject to the condition as per annexure enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Vaild for five years the date of sanction for fresh map/ one year in Case
Of renewal.


Authorised Signatory

Copy to:- Officer inchare (Enforcement)alongwith sanctioned copy of Map.

Authorised Signatory

अनुज्ञा की शर्तें

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भू/ग्रेह का किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विवधित कार्यवाही हेतु निरोयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भाँति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रात्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यो को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकेड बालकनी, छज्जा, कारनिस और किसी प्रकार के प्रेक्षक के रूप में ही चाहे भले हो, ऐसे प्रेक्षक भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये की अनुज्ञा अमान्य होगी। ऐसे निर्माण कार्यों के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन पृथक स्वीकृत अनिवार्य है।
4. अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहां पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकरण लगे तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये गये
6. निर्माण भूकम्परोधी करना होगा।
7. वृक्षारोपण, सोलर वाटर हीटिंग व रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान शासनादेश के नियमानुसार करना होगा।
8. निर्माण भूकम्परोधी एन0बी0सी0 2005 का प्राविधान करते हुए करना होगा एवं दक्ष स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में किया जायेगा।
9. भवन उपविधि में अध्यासन से पूर्व पूर्णता प्रमाण-पत्र उपविधि में दिये गये प्रारूप के अनुसार प्राप्त करना होगा।
10. कानपुर नगर में गंगा नदी का उच्चतम जलस्तर 113.465 अतः योजना के अंतर्गत निर्मित किये जाने वाले भवनों के प्लिंथ लेवल को जन सामान्य की सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित करना होगा, जिससे जल भराव की समस्या उत्पन्न न हो।
11. मानचित्र में प्रस्तावित ई0डब्लू0एस0 व एल0आई0जी0 हेतु शासनादेश के अनुपालन में रू0 84.72 लाख की बैंक गारण्टी 06 माह के अन्दर ब्याज सहित प्रस्तुत करनी होगी।
12. भू-स्वामित्व विषयक किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
13. स्टिप्ट का उपयोग मात्र पार्किंग हेतु ही किया जायेगा।
14. फायर विभाग द्वारा निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति में अंकित प्राविधान को भवन में करना होगा।
15. मानचित्र की स्वीकृति आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) हेतु प्रदान की जा रही है। अन्य उपयोग की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
16. किसी भी शर्त का पालन न किये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।